भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1341
गुरुवार, दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>गोमती नदी से अक्षय ऊर्जा का दोहन</u>

1341. श्री श्याम सिंह यादवः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गोमती नदी से अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने जौनपुर जिले में किसी नए पवन केन्द्र, जल विद्युत परियोजना अथवा सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जौनपुर जिले में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित की जा रही विद्युत की मात्रा कितनी है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): उत्तर प्रदेश अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में, गोमती नदी से अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में किसी नए पवन स्टेशन, जल विद्युत परियोजना या सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 5228.75 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 2485.16 मेगावाट सौर विद्युत, 501.60 मेगावाट बड़ी पन विद्युत, 2192.89 मेगावाट जैव विद्युत और 49.10 मेगावाट लघु पन विद्युत शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यापक स्तर पर स्थापना करने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,

- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामला) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई।
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनुमोदित किया गया।

(घ) यूपीएनईडीए से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अक्षय ऊर्जा माध्यम से कुल 379746 किलोवाट घंटे प्रति वर्ष विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

*****